# होटल प्रबंध, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण विज्ञान संस्थान (गोवा) सोसायटी

का

# संगम ज्ञापन

# Memorandum of Association

of

# Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied Nutrition (Goa) Society

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वरा अनुवादित
Translated by Central Translation Bureau, New Delhi

भारतीय गैर न्यायिक stamp picture

GOA 03AA523693

Sr.No.: 8053 Place of vendor Panjim Date: 14.11.11

Value of Stamp Rs.: 20/- Society Stamp

Name of Purchaser : Institute of Hotel Management

Place of Residence : Alto-Porvorim

Purpose :

Sign. Of Vendor Sign of Purchaser

Stamp and Signature of Gajanan G.S. Dhumatkar Notary Stamp

## CERTIFIED COPY

It is hereby certified that the file registered under No. 175/Goa/1067 existing in the records of this office relating to the registration of the Society “INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING TECHNOLOGY & APPLIED NUTRITION (GOA) SOCIETY” contains MEMORANDUM OF ASSOCIATION which is as follows :-

भारतीय गैर न्यायिक स्टांप चित्र

गोवा 03AA523693

क्रम सं. Q 053 विक्रय का स्थान – पंजिम तारीख 14.11.11

स्टांप का मूल्य – 20 रुपए सोसाइटी मुहर

खरीदार का नाम – इंस्टीट्यूट ऑफ होटल कैटेरींग टेकनोलॉजी

आवास – आल्तो पोर्वोरिम

उद्देश्य :

विक्रेता के हस्तक्षार क्रेता के हस्तक्षार

गजानन ना. एस. धुमटकर का नोटरी की मुहर

हस्ताक्षरयुक्त मुहर

**<u>प्रमाणित प्रति</u>**

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि “इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटेरींग टेकनोलॉजी एंड अप्लाइड – न्यूट्रिशन (गोवा) सोसाइटी के पंजीकरण से संबन्धित इस कार्यालय के रिकॉर्ड में मौजूद फ़ाइल सं 175/गोवा/1967 के आधीन रजिस्ट्रीकृत फ़ाइल में <u>संगम-ज्ञापन</u> दिया गया है, जो निम्नानुसार है:

FOOD CRAFT INSTITUTE (GOA) SOCIETY

ALTO-PORVORIM, P.O. BETIM, GOA

# M E M O R A N D U M  O F  A S S O C I A T I O N

OF

FOOD CRAFT INSTITUTE (GOA) SOCIETY

1. The name of the Society shall be the Food Craft Institute (Goa ) Society (hereinafter called "The Society")
2. The objects for which the Society is established are :-
   (i) To establish and to carry on the administration and management of the Food Craft Institute, hereinafter called the 'Institute' whose functions shall be :-
      (a) To provide instruction and training in all the crafts and skills, all the branches of knowledge both theoretical and applied, and all the organizational and management techniques, which are required for the efficient functioning of catering establishments of all skills, as well as institutional feeding programmes in schools, industrial establishments, and similar organizations:
      (b) To undertake and to associate itself with nutritional extensions and developmental work.
      (c) To propagate economy in the handling and utilization of food stuffs.
      (d) To assist in the associate itself with the efforts of the Central and State Governments to popularize wholesome non cereal foods, particularly protective foods, with a view to the diversification of the ordinary Indian diet and the enrichment of its nutritional contents:
      (e) To assist in and associate itself with the attempts of Food Research Institutions, food scientists and food technologist to find effective and acceptable means of presenting their nutritional ideas through the development of suitable recipes and the planning of menus.
      (f) To prescribe courses of instructions, hold examinations and grant certificates, diplomas and other awards to persons.
      (g) To fix and demand such fees and other charges as may be laid down in the bye laws.
      (h) To establish, maintain and manage halls and hostels for the residence of students and members of the staff.
      (i) To supervise and control the residence, to regulate the discipline of students of the Institute and to make arrangements for promoting their health general welfare and culture and corporate life.
      (j) To institute teaching in administrative, technical, ministerial and such other work as may be necessary and to make appointments to the posts created therefore in accordance with rules and bye laws.
      (k) To institute and award fellowships, scholarships, exhibitions, loans, monetary assistance, prizes and medals in accordance with the rules and bye laws and

फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट (गोवा) सोसाइटी,

आल्टो पोर्वोरिम, पोस्ट ऑफिस बेतिम, गोवा

फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट (गोवा) सोसाइटी

का

संगम ज्ञापन

1. इस सोसाइटी का नाम फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट (गोवा) सोसाइटी होगा (जिसे इसमें इसके बाद "सोसाइटी" कहा जाएगा)।

2. इस सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई है:-

(i) फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के प्रकाशन और प्रबंधन को स्थापित करने और संचालित करने के लिए, जिसे इसमें इसके बाद "संस्थान" कहा गया है तथा जिसे निम्नलिखित कार्य करने होंगे:-

(क) सभी कौशलों की खानपान प्रबंध स्थापनाओं के कुशल संचालन के लिए आवश्यक सभी शिल्प और कौशलों में, सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों तरह के ज्ञान की सभी शाखाओं में और सभी संगठनात्मक और प्रबंधन तकनीकों में तथा इसके साथ-साथ स्कूलों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और इसी तरह के संगठनों में संस्थागत साधक कार्यक्रमों में अनुदेश और प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ख) पोषण वृद्धि और विकास से जुड़े कार्य करना और उनसे जुड़ना।

(ग) खाद्य पदार्थों को संभालने और उनका उपयोग करने में मितव्ययिता को बढ़ावा देना।

(घ) अनाज इतर पौष्टिक खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से संरक्षी खाद्य पदार्थों को लोकप्रिय बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास में इस बात को ध्यान में रखते हुए सहयोग देना और उनसे जुड़ना कि सामान्य भारतीय आहार में विविधता लाई जा सके और इसे अधिक पौष्टिक बनाया जा सके।

(ङ) खाद्य अनुसंधान संस्थानों, खाद्य वैज्ञानिकों और फूड टेक्नोलॉजिस्ट के प्रयासों में सहयोग देना और उनसे जुड़ना ताकि व्यंजन बनाने की उपायुक्त विधि तैयार करने और मेनू तैयार करने के माध्यम से उनके पोषण संबंधी विचारों को प्रस्तुत करने का प्रभावी और स्वीकार्य साधन खोजा जा सके।

(च) अनुदेश पाठ-योजनाएँ निर्धारित करना, परीक्षाएँ आयोजित करना और व्यक्तियों को प्रमाण पत्र डिप्लोमा और अन्य पुरस्कार प्रदान करना।

(छ) ऐसे शुल्क और प्रभारों को, जो उपनियमों में निर्धारित किए गए हैं, नियत करना तथा उनकी मांग करना।

(ज) विध्यार्थियों और स्टाफ के सदस्यों के रहने के लिए सभाकक्षों तथा छात्रावासों की स्थापना, देखरेख आर उनका प्रबंधन करना।

(झ) संस्थान के विध्यार्थियों को अनुशासित करने के लिए उनके निवास स्थान का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना तथा उनके स्वस्थ्य, सामान्य कल्याण एवं संस्कृतिक व निगमित जीवन के संवर्धन के लिए व्यवस्था करना।

(ञ) प्रशासनिक, तकनीकी और यथा आवश्यकता इस तरह के अन्य कार्यों में शिक्षण प्रारम्भ करना और इसके लिए नियमों एवं उप-विधियों के अनुसार सृजित किए गए पदों पर नियुक्तियाँ करना।

(ट) नियमों और उपविधियों के अनुसार फेलौशिप, छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना, प्रदर्शनियाँ, ऋण, आर्थिक सहायता पुरस्कार और पदक प्रारंभ करना।

I) To seek affiliations with universities or other appropriate academic government bodies or institutions and obtain the recognition of its courses of instruction , its examinations, its diplomas, certificates and other awards by the appropriate educational authorities.

(ii) To give pensions, gratuities or charitable aid to the teachers, staff and other employees or ex-employees of the Society or to their wives, children or other dependents.

(iii) To make payments towards insurance and form and contribution to provident and benefit funds for the benefit of any person employed by the Society or of wives children or other relatives or dependents of such persons.

(iv) To acquire, hold and dispose of property in any manner whatsoever provided that the prior approval of the Central and the State Government of Goa is obtained in the case of acquisition or disposal of immovable property.

(v) To deal with any property belonging to or vested in the Society in such manner as the Society may deem fit for advancing the functions of the Goa Institute.

(vi) To borrow and raise moneys with or without security or on the security of any mortgage, charge or hypothecation or pledge of and over all or any of the immovable properties belonging to the Society or in any other manner whatever.

(vii) To build, construct and maintain houses, hostel schools or other buildings and alter, extend, improve, repair, enlarge or modify the same including any existing building and to provide and equip the same with light, water drainage, furniture, fittings, instruments, apparatus, and appliances and other things for the use to which such buildings is to be put up or held.

(viii) To construct or otherwise acquire, lay out, repair, extend, alter, enlarge, improve and use any land, recreation or playgrounds, parks and other immovable property belonging to or held by the Society.

(ix) To start, conduct, print, publish and exhibit any magazines, periodicals, newspapers, books, pamphlets or posters that may be considered desirable for the promotion of the objects of the Society.

(x) To create and maintain a fund to which shall be credited.

(a) All moneys provided by the Central and State Govt.

(b) All fees and other charges received by the Society

(c) All moneys received by the Society by way of grants, gifts, donations, benefictions, bequests or transfers and

(d) All moneys received by the Society in any other manner or from any other sources.

(xi) To deposit all moneys credited to the Fund created and maintained under sub-clause (x) in such banks or to invest them in such manner as the Society may decide.

(xii) To draw, make, accepts, endorse and discount cheques, notes or other negotiable instruments, and for these purposes to sign execute and deliver such assurances and deeds as may be necessary.

(ठ) विश्वविद्यालयों या अन्य सरकारी शैक्षणिक निकायों या संस्थानों से संबंधन (एफ्लिएशन) के लिए प्रयास करना और इसकी अनुदेश-पाठ्ययोजना, इसकी परीक्षाओं, इसके डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और उपयुक्त शैक्षणिक प्राधिकारणों द्वारा दिए जाने वाले अन्य अवार्डों के लिए मान्यता प्राप्त करना।

(ii) शिक्षकों, स्टाफ और अन्य कर्मचारियों या सोसाइटी के कर्मचारियों या उनकी पत्नियों, बच्चों या अन्य आश्रितों को पेंशन, उपदान या धर्मार्थ सहायता प्रदान करना।

(iii) सोसाइटी द्वारा नियोजित किए गए व्यक्तियों उनकी पत्नियों, बच्चों या ऐसे व्यक्तियों अन्य रिश्तेदारों या आश्रितों के लाभ के लिए बीमा का भुगतान करना और भविष्य एवं लाभ निधि सृजित करना और उसमें अंशदान करना।

(iv) किसी निर्धारित तरीके से संपत्ति अर्जित करना, रोके रखना और उसका निपटान करना बशर्ते कि अचल संपत्ति के अधिग्रहण और निपटान के मामले में केंद्र सरकार या गोवा राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

(v) किसी भी ऐसी संपत्ति का, जो सोसाइटी की है या सोसाइटी में निहित है, निपटान उस तरीके से करना जिसे सोसाइटी संस्थान के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उचित समझती है।

(vi) प्रतिभूति पर या प्रतिभूति के बिना या सोसाइटी की अचल सम्पत्तियों में से सभी को या किसी एक को बंधक, भार या आडमान या गिरवी रखकर दी गई प्रतिभूति पर या किसी भी अन्य तरीके से धन उधार लेना या जुटाना।

(vii) मकानों, छात्रावासों स्कूलों या अन्य इमारतों का, निर्माण एवं अनुरक्षण करना और उनमें बदलाव, विस्तार, सुधार, मरम्मत, परिवर्धन या आशोधन करना, जिसमें कोई मौजूदा इमारत भी शामिल है तथा उनमें बिजली, पनि की निकासी, फर्नीचर, फिटिंग, उपकरणों, साधनों, उप-यंत्राओं और अन्य चीजों की व्यवस्था करना ताकि इस तरह की इमारतों का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया जा सके जिसके लिए इन्हें तैयार किया गया या रखा गया है।

(viii) सोसाइटी द्वारा अधिकृत या सोसाइटी द्वारा राखी गई किसी जमीन, मनोरंजन या खेल के मैदानों, पार्कों और अन्य अचल संपत्ति का निर्माण करना या अन्यथा अधिग्रहण करना या उसकी लेआउट बनाना, मरम्मत करना, उसमें विस्तार, बदलाव करना, उसे बढ़ाना, सुधारणा और उपयोग में लाना।

(ix) सोसाइटी के उद्देश्यों के प्रचार के लिए वांछनीय समझी जाने वाली पत्रिकाओं, नियतकालिक पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, किताबों, पर्चो या पोस्टरों का मुद्रण और प्रकाशन प्रारंभ करना और प्रदर्शनी आयोजित करना।

(x) एक निधि का सृजन और अनुरक्षण करना जिसमें निम्नलिखित राशियाँ जमा की जाएंगी:

(क) केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी गई सारी धनराशि।

(ख) सोसाइटी को प्राप्त होने वाले सभी शुल्क और अन्य प्रभार।

(ग) सोसाइटी को अनुदानों, उपहारों, दानों, चंदों, वसीयतों या अंतरण के माध्यम से प्राप्त होने वाली सारी धनराशि और

(घ) सोसाइटी को किसी भी अन्य तरीके से या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त होने वाली सारी धनराशि

(xi) उपखंड (x) के तहत सृजित और अनुरक्षित निधि में क्रेडिट की गई सारी धनराशि उन बैंकों में जमा कराई जाएगी या उसका निवेश उस तरह से किया जाएगा जैसा कि सोसाइटी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(xii) चैक, नोट या अन्य परक्राम्य लिखित आहरित करना, स्वीकृत करना, पुष्ठांकित करना और मिटिकाटे पर भुगतान (डिस्काउंट) करना और इन उद्देश्यों के लिए यथा आवश्यक आश्वासनों और विलेखों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें निष्पादित करना ।

(xiii) To pay out of the funds belonging to the Society or out of any particular part of such funds the expenses incurred by the Society from time to time including all expenses incidental to the formation of the Society and management and administration of any of the foregoing objects including all rents, rates, taxes, outgoing and the salaries of the employees.

(xiv) To do all such lawful acts, deeds or things as may be necessary incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the Society.

3. The Central or the State Government of Goa may issue with the concurrence of the State or the Central Government as the case may be, such directions to the Society as it may consider necessary for the furtherance of the objects of the Society and for ensuring the effective functioning thereof.

4. The Central or the State Government of Goa may appoint with the concurrence of the State or the Central Govt. as the case may be, one or more persons to review the work and progress of the Society and to hold enquiries into the affairs thereof and to report thereon, in such manners as the Central or the State Government may order. Upon receipt of any such reports the Central or the State Government with the concurrence of the State or the Central Government as the case may be, may take such action and issue such directions as it may consider necessary in respect of any of the matters dealt with the report and the Society, shall be bound to comply with such directions.

5. The income and property of the Society, however, derived, shall be applied towards the promotion of the objects as set forth in this memorandum of Association subject nevertheless in respect of the grants made by the Central Government or the State Government to such limitations as the Central or the State Government may from time to time, impose. No part of the income and property of the Society shall be paid or transferred directly or indirectly by way of dividends, bonus or otherwise howsoever by way of profit to the persons who at any time are or have been members of the Society or to any of them or to any person claiming through them or any of them provided that noting herein contained shall prevent to the payment in good faith of remuneration to any member thereof or any person in return for any service rendered to the Society or for travelling allowance, halting or other similar charges.

6. The names and addresses and occupation of the first members of the Governing body of the Society (referred to in the rules and bye laws as the Board of Governors) to which by the rules of the Society the management of its affairs is entrusted are :-

(xiii) सोसाइटी द्वारा समय-समय किए गए खर्च का भुगतान सोसाइटी की निधि में से या इस निधि के किसी विशेष भाग में से करना जिसमें सोसाइटी के गठन के लिए और पूर्वगामी उद्देश्यों में से किसी के प्रबंधन और प्रशासन के लिए प्रासंगिक सभी खर्च और इसके साथ-साथ सभी किराए, कर, कर्मचारियों के वेतन और बाहर जाने पर होने वाले व्यय भी शामिल हैं।

(xiv) ऐसे सभी वैध कार्य, विलेख तैयार करना या कार्य करना जो सोसाइटी के सभी या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक, प्रासंगिक या अनुकूल हों।

3. केंद्र या गोवा राज्य सरकार, यथास्थिति राज्य या केंद्र सरकार की सहमति से सोसाइटी के लिए इस तरह के निर्देश जारी कर सकती हैं जो यह सोसाइटी के संवर्धन के लिए और उसके कामकाज के प्रभावी तरीके को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे।

4. केंद्र या गोवा राज्य सरकार, यथास्थिति, राज्य या केंद्र सरकार की सहमति से सोसाइटी के काम और प्रगति की समीक्षा करने के लिए और उसके मामलों की जांच करने और केंद्र या राज्य सरकार के अनुदेशानुसार उसकी रिपोर्ट देने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है। ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर केंद्र या राज्य सरकार, यथास्थिति, राज्य या केंद्र सरकार की सहमति से ऐसी कार्रवाई करेगी और इस तरह के निर्देश जारी करेगी जो रिपोर्ट किए गए मामलों में से किसी के संबंध में आवश्यक समझे जाएंगे और सोसाइटी, इस तरह के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी।

5. सोसाइटी की संपत्ति और आय, चाहे जैसे भी प्राप्त हुई हो, इस संगम ज्ञापन में यथा निर्धारित उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए उपयोग में लाई जाएगी लेकिन केंद्र सरकार या, राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान के संबंध में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आरोपित की जाने वाली सीमाओं का पालन किया जाएगा। सोसाइटी की आय और संपत्ति का कोई भी हिस्सा लाभांश, बोनस या किसी अन्य लाभ के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्तियों को, जो सोसाइटी के सदस्य रहे हों या इसका दावा कर रहे हों, अदा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि यहाँ कही गई कोई भी बात उसके किसी सदस्य को या किसी व्यक्ति को सोसाइटी के लिए की गई किसी सेवा के लिए या यात्रा भत्ते के लिए, कहीं रुकने के लिए या इसी तरह के अन्य प्रभारों के लिए सदभावनापूर्ण दिए जाने वाले पारीश्रमिक के भुगतान को बाधित नहीं करेगी।

6. सोसाइटी के नियमों के अनुसार इसके मामलों का प्रबंधन सोसाइटी के जिस शासी निकै(नियमों और उपनियमों में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तौर पर उल्लिखित) को सौंपा गया है उसके प्रथम सदस्यों के नाम और पते और व्यवसाय निम्नलिखित हैं:

| | NAME | OCCUPATION & ADDRESS | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mr. T. Kipgen | Development Commissioner Govt. of Goa, Daman & Diu | Chairman |
| 2. | Mr. T.R. Parmeswaran | Under Secretary to the Govt. of India | Member |
| 3. | Mr. R. K. Saggi | Assistant Financial Adviser (Food) Govt. of India | Member |
| 4. | Dr. P. K. Kymal | Executive Director, Food & Nutrition Board, Govt. of India | Member |
| 5. | Mr. C. Belfield Smith | Adviser Catering Technology, Govt. of India | Member |
| 6. | Mr. H. M. Singh | Regional Director (Food) Western Region | Member |
| 7. | Mr. D. N. Barua | Collector & Director of Civil Supplies & Price Control, Govt. of Goa, Daman & Diu | Member |
| 8. | Mr. B. Ram | Director of Information &Tourism, Government of Goa, Daman & Diu | Member |
| 9. | Mr. P. S. Varde | Director of Education, Govt. of Goa, Daman & Diu | Member |
| 10. | Miss T.E. Philip | Principal/Secretary, Institute of Catering Technology & Applied Nutrition, Bombay | Member |
| 11. | Mr. S. V. Kurade | Dy. Director of Education, Govt. of Goa, Daman & Diu | Member |
| 12. | Mr. V. A. Quenim | Principal/Secretary, Food Craft Institute, Goa. | Principal |

| | नाम | पदनाम व पता | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री टी. किप्गें | विकास आयुक्त, गोवा सरकार, दमन एवं दीव | अध्यक्ष |
| 2. | श्री टी. आर. परमेश्वरन | उप-सचिव, भारत सरकार | सदस्य |
| 3. | श्री आर. के. सग्गी | सहायक वित्तीय सलाहकार (खाद्य), भारत सरकार | सदस्य |
| 4. | डॉ पी. के. क्यमल | कार्यकारी निदेशक, खाद्य एवं पोषण बोर्ड, भारत सरकार | सदस्य |
| 5. | श्री सी. बेल्फ़ील्ड स्मिथ | सलाहकार, खान-पान प्रौद्योगिकी, भारत सरकार | सदस्य |
| 6. | श्री एच. एम. सिंह | क्षेत्रीय निदेशक(खाद्य), पश्चिमी क्षेत्र | सदस्य |
| 7. | श्री डी. एन. बरुआ | कलेक्टर एवं नागरिक आपूर्ति व मूल्य नियंत्रण निदेशक, गोवा सरकार, दमन एवं दीव | सदस्य |
| 8. | श्री बी. राम | सूचना एवं पर्यटन निदेशक, गोवा सरकार, दमन एवं दीव | सदस्य |
| 9. | श्री पी. एस. वर्दे | शिक्षा निदेशक, गोवा सरकार, दमन एवं दीव | सदस्य |
| 10. | सुश्री टी. ई. फिलिप | प्रधानाचार्य / सचिव, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण विज्ञान संस्थान, बंबई | सदस्य |
| 11. | श्री एस. वी. कुराडे | उप निदेशक (शिक्षा), गोवा सरकार, दमन एवं दीव | सदस्य |
| 12. | श्री वी. ए. केनी | प्रधानाचार्य/सचिव, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, गोवा | प्रधानाचार्य |

We, the several persons whose names and addresses are given below, having associated ourselves for the purpose described in this Memorandum of Association, do hereby subscribe our names to this Memorandum of Association, and set ourselves and respective hands here upto and form ourselves into a Society under Act XXI of 1860, this day of 4th October, 1969 (fourth October, nineteen sixty nine).

| | Name & Addresses of the members | Signature of the Members | Name & Address & occupation of witnesses | Signature of the witness |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mr. T. Kipgen,<br>Development Commissioner,<br>Government of Goa, Daman & Diu | Sd/- | | |
| 2. | Mr. T.R. Parmeshwaran,<br>Under Secretary to the Govt. of India,<br>Ministry of Food, Agriculture,<br>Community Development & Cooperation,<br>Department of Food,<br>Krishi Bhavan,<br>New Delhi – 1 | Sd/- | | |
| 3. | Mr. R. K. Saggi,<br>Assistant Financial Adviser (Food),<br>Government of India,<br>Room no. 82,<br>Krishi Bhavan,<br>New Delhi – 1. | Sd/- | | |
| 4. | Mr. P.K. Kymal,<br>Executive Director,<br>Food & Nutrition Board,<br>Ministry of Food, Agriculture,<br>Community Development & Coop.<br>Department of Food,<br>Krishi Bhavan,<br>New Delhi – 1. | | | |
| 5. | Mr. C. Belfield Smith,<br>Adviser Catering Technology,<br>Government of India,<br>Ministry of Food, Agriculture,<br>Community Development & Coop.<br>Department of Food,<br>Krishi Bhavan,<br>New Delhi – 1. | Sd/- | | |

हम पृथक-पृथक व्यक्ति जिनके नाम और पते नीचे दिए गए हैं इस संगम ज्ञापन में विनिर्दीष्ट प्रयोजन के लिए स्वयं को संबद्ध करते हुए एतदद्वारा इस संगम ज्ञापन में अपना नाम शामिल करते हैं और हस्ताक्षर करते हैं और 4 अक्तूबर 1969 (चार अक्तूबर उन्नीस सौ उनहत्तर) के इस दिन 1860 के अधिनियम XXI के तहत अपनी एक सोसाइटी बनाते हैं।

| क्र. सं. | सदस्य का नाम और पता | सदस्यों के हस्ताक्षर | गवाहों के नाम पता और पदनाम | गवाहों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री टी. किप्गें<br>विकास आयुक्त, गोवा सरकार<br>दमन एवं दीव | हस्ता०/ | | |
| 2. | श्री टी. आर. परमेश्वरन<br>उप-सचिव, भारत सरकार<br>खाद्य, कृषि,<br>सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय<br>खाद्य विभाग, कृषि भवन<br>नई दिल्ली-1 | हस्ता०/ | | |
| 3. | श्री आर. के. सग्गी<br>सहायक वित्तीय सलाहकार (खाद्य), भारत सरकार<br>कमरा नंबर 82, कृषि भवन<br>नई दिल्ली -1 | हस्ता०/ | | |
| 4. | डॉ पी. के. क्यमल<br>कार्यकारी निदेशक, खाद्य एवं पोषण बोर्ड, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय,<br>खाद्य विभाग, कृषि भवन<br>नई दिल्ली – 1 | | | |
| 5. | श्री सी. बेल्फ़ील्ड स्मिथ<br>सलाहकार, खान-पान प्रौद्योगिकी, भारत सरकार<br>खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय<br>खाद्य विभाग, कृषि भवन<br>नई दिल्ली – 1 | हस्ता०/ | | |

6. Mr. H.M. Singh,
Regional Director (Food),
Western Region,
Dinshaw Wacha Road,
Bombay – 1.

7. Mr. D. N. Barua,
Director of Civil Supplies
& Price Control & Collector,
Government of Goa, Daman & Diu,
Panaji – Goa.

8. Mr. B. Ram,
Director of Information & Tourism,
Government of Goa, Daman & Diu,
Panaji – Goa.

9. Mr. T. Kipgen, Sd/-
Director of Education,
Directorate of Education,
Government of Goa, Daman & Diu,
Panaji – Goa.

10. Miss T. E. Philip,
Principal/Secretary,
Institute of Catering Technology
& Applied Nutrition,
Veer Sawarkar Road,
Opp. Cadel Road Post Office,
Dadar, Bombay – 28.

11. Mr. S. V. Kurade, Sd/-
Dy. Director of Education,
Govt. of Goa, Daman & Diu,
Directorate of Education,
Panaji – Goa

12. Mr. V. S. Quenim, Sd/-
Principal/Secretary,
Food Craft Institute,
Alto Porvorim,
P. O. Betim,
Bardez – Goa.

6. श्री एच. एम. सिंह
क्षेत्रीय निदेशक(खाद्य),
पश्चिमी क्षेत्र,
दिनशॉ वाचा रोड
मुंबई – 1

7. श्री डी. एन. बरुआ,
नागरिक आपूर्ति व मूल्य नियंत्रण निदेशक एवं कलेक्टर
गोवा सरकार, दमन एवं दीव
पणजी, गोवा

8. श्री बी. राम
सूचना एवं पर्यटन निदेशक,
गोवा सरकार, दमन एवं दीव
पणजी, गोवा

9. श्री पी. एस. वर्दे हस्ता०/
शिक्षा निदेशक,
गोवा सरकार, दमन एवं दीव
पणजी, गोवा

10. सुश्री टी. ई. फिलिप
प्रधानाचार्य/सचिव, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं
अनुप्रयुक्त पोषण विज्ञान संस्थान
वीर सावरकर रोड
कैडल रोड डाकघर के सामने,
दादर, मुंबई 28

11. श्री एस. वी. कुराडे हस्ता०/
उप निदेशक (शिक्षा), गोवा सरकार, दमन एवं दीव
शिक्षा निदेशालय
पणजी, गोवा

12. श्री वी. ए. केनी हस्ता०/
प्रधानाचार्य/सचिव, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, गोवा
फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट
आल्तो पोर्वोरिम
पोस्ट ऑफिस बेतिम
बार्देज, गोवा

It is certified that this is a true Xerox copy of the original of MEMORANDUM OF ASSOCIATION of Society "INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING TECHNOLOGY & APPLIED NUTRITION (GOA) SOCIETY" under Registration No. 175/Goa/1967.

---

This certified copy is issued at the request of Roque D 'Cruz, made in his application dated 14/11/2011 where it is stated that the same is required for official record and has 8 sheets serially numbered from 1 to 8.

---

Fees of Rs. 30/- (Rupees thirty only) credited to the State Bank of India, Panaji by this office under Challan No. 1092/11-12 dated 16/11/2011.

---

Office of the District Registrar, North, Panaji, dated 16th November, 2011.

Sd/-
( V. T. HADKONKAR)
INSPECTOR GENERAL OF SOCIETIES/
D.R. NORTH GOA

Compared By:-

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रतिलिपि पंजीकरण संख्या 175/गोवा/1967 के तहत “होटल प्रबंध, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण विज्ञान संस्थान (गोवा) सोसाइटी के मूल संगम ज्ञापन की पक्की नकल है।

---

यह प्रमाणित प्रतिलिपि रॉक डि’क्रूज द्वारा उसके दिनांक 14/11/2011 के आवेदन में किए गए अनुरोध पर जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि सरकारी रेकॉर्ड के लिए इस प्रतिलिपि की आवश्यकता है और इसमें 1-8 तक क्रमांकित 8 पन्ने हैं।

---

इस कार्यालय ने भारतीय स्टेट बैंक, पणजी में चालान नं 1092/11-12 दिनांक 16/11/2011 के तहत 30/- (केवल तीस रुपए) का शुल जमा किया है।

---

जिला रजिस्ट्रार का कार्यालय, उत्तर, पणजी, दिनांक 16 नवम्बर, 2011

हस्ता/-
(वी. टी. हड़कोणकर)
सोसाइटी महानिरीक्षक/
डी.आर. उत्तरी गोवा।

मिलानकर्ता:-